नगर विकास न्यास, पाली

जिला कलेक्ट्रेट परिसर, पाली

फोन नं. 02932–223222 ई मेल – uitpali@gmail.com

क्रमांक :न्या.पा./भवन निर्माण/2018–19/ २८५ दिनांक : २९/१०/१८

श्रीमती भावना पत्नि श्री जुगल किशोर
श्रीमती सुनीता पत्नि श्री महेन्द्र सिंह
रजत विंहार, पाली।

विषय :– राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 604/8 क्षेत्रफल 7162.59 वर्गमीटर भूखण्ड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के Provision 3A के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन करने बाबत्।

संदर्भ :– आपके आवेदन दिनांक 03.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा नम्बर 604/8 क्षेत्रफल 7162.59 वर्गमीटर भूखण्ड पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के Provision 3A के तहत आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त प्रकरण मुख्यमन्त्री जन आवास योजना 2015 के अर्न्तगत गठित स्थानीय स्तर की प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 28.09.2018 में रखा जाकर आप द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमन्त्री जन आवास योजना 2015 के अर्न्तगत गठित स्थानीय स्तर की प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयानुसार भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित किये जाते है :–

1. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नही किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
2. अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण की स्वीकृति मुख्यमंत्री जन आवास योजना के Provision 3A के तहत प्रदत्त की जा रही है, अतः अनुज्ञाधारी को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के Provision 3A में उल्लेखित प्रावधानो की पालना यथानुरूप की जानी होगीं एवं प्रदत्त स्वीकृति को स्वामित्व में प्रमाण के रूप में नहीं माना जावेगा।
3. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
4. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमो के अनुरूप है। यदि कोई उल्लघंन नगर विकास न्यास की जानकारी में आया तो नगर विकास न्यास को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा नगर विकास न्यास से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नही होगा।
5. अनुज्ञाधारी को एकीकृत भवन विनियम, 2017 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सुचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें सचिव, नगर विकास न्यास, पाली व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेंगी।

6. अनुज्ञाधारी को एकीकृत भवन विनियम, 2017 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उप नगर नियोजक, पाली को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना नगर विकास न्यास को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनिकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
9. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी प्रावधानो की पालना अक्षरशः की जानी होगी। यदि किसी अनापत्ति की आवश्यकता हो तो अनुज्ञाधारी को स्वंय के स्तर पर प्राप्त की जानी होगी।
10. उक्त स्वीकृति के कारण यदि नगर विकास न्यास, पाली को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
11. अनुज्ञाधारी को एकीकृत भवन विनियम, 2017 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार भवन में वर्षा जल संग्रहण हेतु Rain Water Harvesting Structure का निर्माण करवाया जाना होगा।
12. अनुज्ञाधारी को एकीकृत भवन विनियम, 2017 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार भवन में सौर ऊर्जा से पानी गरम करने हेतु सौर ऊर्जा संयत्रं लगाना जाना आवश्यक होगा।
13. भूखण्ड क्षेत्र में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सड़के, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण संरचना आदि का कार्य विकासकर्ता द्वारा किया जावेगा तथा स्थानीय आर.डबल्यू.ए. को संचालन व रखरखाव के लिए समर्पित किया जाना होगा।
14. एकीकृत भवन विनियम के बिन्दु संख्या 8.11 व 8.12 में उल्लेखित भवन नक्शो की संस्वीकृति के लिए पर्यावरणीय शर्तो की पालना अक्षरश की जानी होगी एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 जयपुर, दिनांक 15.02.2018 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण नियम-2006 के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक निर्मित क्षेत्र पर पर्यावरण विभाग से अनापत्ति ली जानी होगी।
15. अनुज्ञाधारी को पार्किंग प्रावधानो की पालना एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी। भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान का नक्शा भी प्रदर्शित उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
17. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐंसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
18. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
19. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सडक की ओर) लगाया जावें जिसमे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

20. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवायें जायें।
21. अनुमोदित भवन मानचित्रो से अतिरिक्त निर्माण किसी भी सूरत में नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृती निर्माण किया जाता है, तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार नगर विकास न्यास, पाली को होगा।
22. निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व श्रम विभाग को सूचित कर उक्त योजना का श्रम विभाग में पंजीयन किया जाना होगा। देय श्रम उपकर अनुज्ञाधारी को स्वंय श्रम विभाग में जमा करवाकर रसीदो की प्रतियॉ नगर विकास न्यास कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी।
23. भवन के लिये अन्य उपबन्ध तथा विनियम, जो यहॉ सम्मिलित नहीं हैं, वे ऐसे होंगे कि राष्ट्रीय भवन संहिता में तथा विनियमों/नियमों, भवन उपविधियो में विहित किये गये हैं।
24. उपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबन्धित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी। एकीकृत भवन विनियम, 2017 में उल्लेखित समस्त प्रावधानों की सुनिश्चितता आवेदक के स्तर पर की जानी होगी।

संलग्नः— मानचित्रों की प्रति का 1 सैट

(इन्दाराम मेघवंशी)
सचिव
नगर विकास न्यास
पाली।

नगर विकास न्यास, पाली

जिला कलेक्ट्रेट परिसर, पाली

फोन नं. 02932–223222

ई मेल – uitpali@gmail.com

क्रमांक :न्या.पा./मु.ज.यो/2018–19/ 261

दिनांक 16 मई 2018

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत गठित स्थानीय स्तर प्रोजेक्ट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 15.05.2018 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण:–

1.	आवेदक का नाम	श्री आदाराम पुत्र श्री हेमाराम जरिये आम मुख्तयार जुगल किशोर पुत्र श्री मंशाराम एवं महेन्द्र सिह पुत्र श्री बाबुसिह।
2.	राजस्व ग्राम एवं खसरा नं.	पाली चक–द्वितिय के खसरा संख्या–604/5
3.	क्षेत्रफल	04 बिघा 10 बिस्वा
4.	भूमि का पाली मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग	परिधी नियत्रंण क्षेत्र
5.	आवेदक के द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग	आवासीय (एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ)
6.	प्रकरण के तथ्य 1. आवेदित भूमि पाली से खैरवा जाने वाली सडक के दक्षिण दिशा मे स्थित है, आवेदित भूमि को आवश्यक पहुॅच मार्ग 40 फीट पूर्व मे नगर परिषद पाली द्वारा उक्त सडक पर खसरा संख्या–604/4 के अनुमोदित ले–आउट प्लान से 40 फीट उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा मे राजस्व रास्ता स्थित है, जिसका मार्गाधिकार पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकोर्ड अनुसार 52 फीट है। 3. आवेदित भूमि का भू–उपयोग पाली मास्टर प्लान–2023 अनुसार परिधी नियत्रंण क्षेत्र हेतु आरक्षित है, नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 30.10.2017, 12.10.2017 व 25.04.2017 अनुसार प्लान्टेशन बेल्ट, ईकोलोजिकल जोन, ईकोसेन्सेटिव जोन व रिक्रियेशन् जोन को छोडकर अन्य भू–उपयोगो मे मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत आवेदित प्रकरणो मे अनुज्ञेय उपयोग कर श्रेणी मे मानते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। 4. आवेदित भूमि कार्यालय के कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर रिक्त है तथा आवेदित भूमि में से 11 के0वी की एच0टी लाईन गुजर रही है।	
7.	समिति का निर्णय समिति के द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा निम्न शर्तों के साथ आवेदित भूमि का परिधीय नियत्रंण पट्टी में आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. आवेदित भूमि पाली से खैरवा जाने वाली सडक के दक्षिण दिशा मे स्थित है, आवेदित भूमि को आवश्यक पहुॅच मार्ग 40 फीट पूर्व मे नगर परिषद पाली द्वारा उक्त सडक पर खसरा संख्या–604/4 के अनुमोदित ले–आउट प्लान से 40 फीट उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा मे राजस्व रास्ता स्थित है, जिसका मार्गाधिकार पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकोर्ड अनुसार 52 फीट है, उक्त राजस्व रास्ते की चौडाई 80 फीट रखते हुये सडक मध्य से 40 फीट सडक हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि मे से निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। 3. आवेदित भूमि मे से 11 के0वी की एच0टी लाईन गुजर रही है, प्रार्थी द्वारा सहायक अभियन्ता जे0वी0वी0एन0एल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उक्त एच0टी लाईन को स्थानान्तरित करवाने बाबत निवेदन किया गया है। उक्त प्रार्थना–पत्र माननीय उर्जा मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिह द्वारा अधीक्षण अभियन्ता को अग्रेषित किया गया है। अतः भवन मानचित्र अनुमोदन की अवधि तक उक्त लाईन को स्थानान्तरित नही किया जाता है तो नियमानुसार सुरक्षात्मक दुरी छोडी जानी होगी। 4. आवेदित भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 व भवन विनियम–2017 के समस्त प्रावधानो की सुनिश्चितता न्यास स्तर पर की जानी होगी। 5. उक्त भूखण्ड आवासीय (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ प्रस्तावित किया गया है। अतः इसको एकल भूखण्ड में रखते हुए विकसित किया जाना होगा। भविष्य में भूखण्ड का उपविभाजन स्वीकृत नहीं होगा। 6. भूखण्ड पर निर्माण कार्य न्यास से नियमानुसार मानचित्र का अनुमोदन करवानें के उपरान्त ही करना होगा। 7. समस्त प्रकार के शुल्क टाउन शिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो/दिशा निर्देशों के अनुसार वसूलनीय होंगे।	

For-Daya Dream Residency LLP

Partner

उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास, पाली	तहसीलदार नगर विकास न्यास, पाली	अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, पाली	सचिव नगर विकास न्यास, पाली	अध्यक्ष नगर विकास न्यास, पाली

D:\UIT PALI\Niyman Patravli\90 all/ Layout Plan Meeting

नगर विकास न्यास, पाली

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान
संख्या– 3ए के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ

पाली चक–2 के खसरा संख्या–604/5
नगर विकास न्यास के नाम दर्ज नवीन
खसरा संख्या– 604/8

आवेदक का नामः–

साइट प्लान

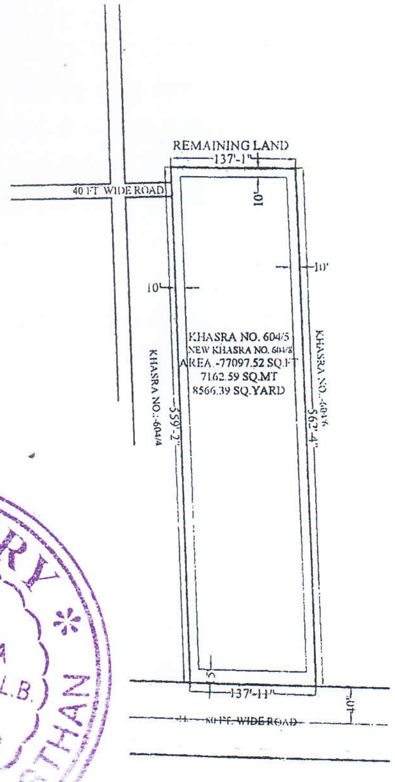

N

Ldg y . 1"=200'

NOTARY
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TARUN MEHTA
ADVOCATE B.Com. LL.B.
PALI DIST. PALI
REGD. No. 520/2002

उप पंजीयन अधिकारी (प्रथम)
पाली (राज.)

दिशा	नपति	सेटबेक	पडौस
उत्तर	137 फीट 1 ईन्च	न्युनतम 10 फीट	खसरा संख्या–604/5 शेष भूमि
पूर्व	562 फीट 4 ईन्च	न्युनतम 10 फीट	खसरा संख्या–604/6
दक्षिण	137 फीट 11 ईन्च	15 फीट	सडक 80 फीट
पश्चिम	559 फीट 2 ईन्च	न्युनतम 10 फीट	खसरा संख्या–604/4 व सडक 40 फीट
क्षेत्रफलः–	77097.52 SQ.FT / 7162.59 SQ.MT / 8566.39 SQ.YARD		

Confirmed Photocopy
ATTESTED
Photo State/True Copy
26.06.2018
Tarun Mehta NOTARY PAL

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर विकास न्यास, पाली

उप नगर नियोजक,
नगर विकास न्यास, पाली

सचिव
(विशाल दवे)
नगर विकास न्यास, पाली

सचिव
नगर विकास न्यास, पाली

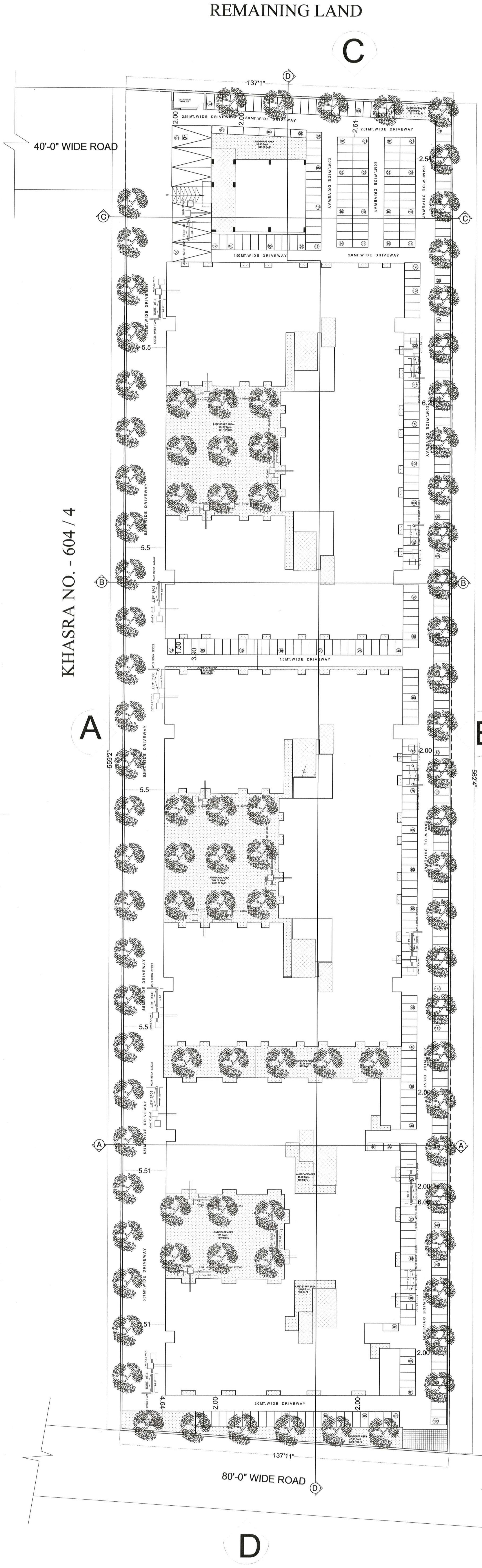

1.0 - SITE PLAN + PARKING PLAN

AREA CHART: AS PER CMJAY-2015 & UNIFIED BUILDING BYELAWS-2017

PLOT AREA= 7162.59 SQ.MT.	
PERMISSIBLE B.A.R.=2.25 +1.5 = 3.75 (WITH OUT BETTERMENT LEVY) =3.75 X 7162.59 = 26859.71 SQMT.	ACHIEVED RESIDENTIAL B.A.R = 15074.15 = 15074.15 SQ.MT (ACHIEVED 2.10 B.A.R.)
PERMISSIBLE COMMERCIAL AREA = 320.91 SQ.MT. (2% OF RES. B.A.R.)	PROPOSED COMMERCIAL AREA = 0.00 SQ.MT. (0.00% OF TOTAL RESIDENTIAL B.A.R.)
PERMISSIBLE CLUB HOUSE AREA = 301.48 SQ.MT. (2% OF RES. B.A.R.)	PROPOSED CLUB HOUSE AREA = 313.5 SQ.MT. (2.07 % OF TOTAL RESIDENTIAL B.A.R.) EXTRA CLUB HOUSE AREA = 313.5 - 301.48 :- 12.02 SQ.MT.
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = 3581.29 SQ.MT. (50% OF PLOT AREA)	PROPOSED GROUND COVERAGE=GROUND FLOOR GROSS B.U.A. OF ALL BUILDING BLOCK PROPOSED GROUND COVERAGE= 3119.33 SQMT. (43.55 %)
PERMISSIBLE LANDSCAPE AREA= 1074.39 SQMT. (15% OF PLOT AREA)	PROPOSED LANDSCAPE AREA= 1077.25 SQMT (15.04%) ON GROUND
REQUIRED PARKING = 6 CARS + 476TWO WHEELERS EWS/ LIG PARKING = 110 + 360 + 6 = 476 TWO WHEELERS	ACHIEVED TOTAL PARKING: CAR PARKING = 6 NOS.(0 HANDICAPPED PARKING) TWO WHEELERS PARKING = 480 TWO WHEELERS
NO. OF EWS UNITS = 110 UNITS (37.18 %) NO. OF LIG UNITS = 180 UNITS (62.82 %)	TOTAL NO. OF UNITS = 110 + 180 = 290 UNITS

ALL BUILDING BLOCK (A+B+C+D) BUILTUP AREA ANALYSIS

BUILDING BLOCK	BLOCK AREA (SQMT.)	SHAFT AREA (SQMT.)	GROSS B.U.A. (SQMT.)	BALCONY AREA (SQMT.)	RESIDENTIAL B.U.A. (SQMT.)
BLOCK-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLOCK-B	5594.40	281.70	5312.70	198.00	5312.70
BLOCK-C	5594.40	281.70	5312.70	198.00	5312.70
BLOCK-D	4767.65	318.90	4448.75	262.80	4448.75
TOTAL	**15956.45**	**882.30**	**15074.15**	**658.80**	**15074.15**
RESIDENTIAL B.U.A. =		**15074.15**	**SQMT.**		
COMMERCIAL B.U.A. =		**0.00**	**SQMT.**	**0.00%**	**OF RESIDENTIAL B.U.A.**
COMMUNITY B.U.A. =		**313.50**	**SQMT.**	**2.08%**	**OF RESIDENTIAL B.U.A.**

PARKING REQUIREMENT FOR EWS/ LIG UNITS=				1 TWO WHEELER FOR 1 EWS UNIT		
				2 TWO WHEELERS FOR 1 LIG UNIT		
TOTAL NO. OF EWS UNIT=	110 UNITS	PARKING REQ.=		110	**TWO WHEELERS**	
TOTAL NO. OF LIG -01 UNIT=	180 UNITS	PARKING REQ.=		360	**TWO WHEELERS**	
	TOTAL PARKING REQ. FOR EWS/LIG=			**470**	**TWO WHEELERS**	
PARKING REQUIRED FOR COMMERCIAL AREA=	COMMERCIAL B.U.A. 75	(1 E.C.U. PER 75 SQMT. AREA)				
PARKING REQUIRED FOR COMMERCIAL AREA=	**0/75 =**	**0.00**	**E.C.U.**	........(1)		
PARKING REQUIRED FOR AMENITIES AREA=	CLUB HOUSE F.A.R. 115	(1 E.C.U. PER 115 SQMT. AREA)				
PARKING REQUIRED FOR AMENITIES AREA=	**313.5/50 =**	**6.27**	**E.C.U.**	........(2)		
TOTAL PARKING=	(1)+(2)					
TOTAL PARKING=	(0+6.27)=					
TOTAL PARKING=		**6.27**	**E.C.U.**	........(3)		
VISITOR'S PARKING=	25% OF TOTAL PARKING					
VISITOR'S PARKING=	**6.27X 0.25=**	**1.57**	**E.C.U.**	........(4)		
TOTAL PARKING REQUIRED=	**(3)+(4)**					
TOTAL PARKING REQUIRED=	**6.27+1.57**	**7.84**	**E.C.U.**			
TOTAL CAR PARKING REQUIRED=	5.88	E.C.U.	SAY	**6 E.C.U.** (6 CARS)	(75 % OF TOTAL REQUIRED PARKING)	
TOTAL TWO WHEELERS PARKING REQUIRE	1.96	E.C.U.	SAY	**2 E.C.U.** (6 TWO WHEELERS)	(25 % OF TOTAL REQUIRED PARKING)	

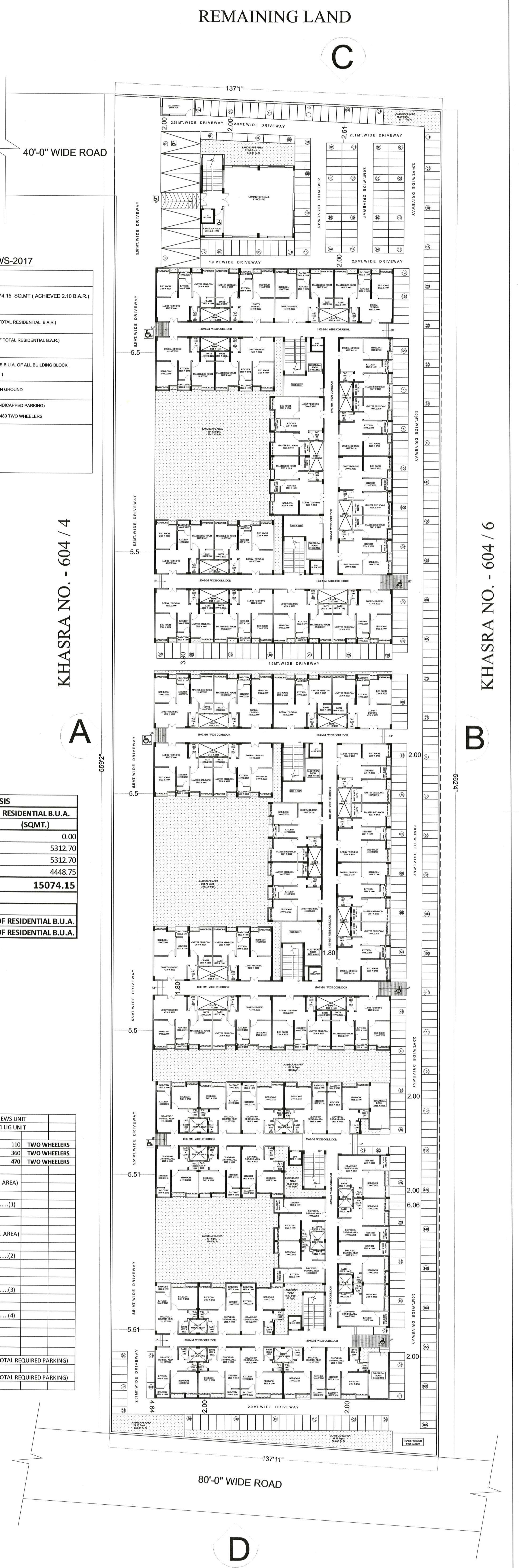

2.0 - SITE PLAN

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, पाली
नगर विकास न्यास, पाली

APPLICANT / PROJECT TITLE	APPLICANT SIGNATURE :	DRAWING TITLE :	DATE :	ASSOCIATE ARCHITECT :	ARCHITECT SEAL & SIGNATURE :	
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR : SMT. BHAVANA W/O JUGAL KISHORE RAJPUROHIT , SMT. SUNITA W/O MAHENDRA SINGH RAJPUROHIT ON PART OF KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 (AS PER CMJAY -2015 PROVISION -3A)	DRAWINGS ARE PREPARED BY ME AFTER SUPERVISING THE SITE. ON THE SITE LOCATION PLOT PRESENT CONDITION IS EMPTY OPEN LAND APPLIED DRAWING DOCUMENTS COMPLETE RESPONSIBILITY TAKEN BY ME. Sunita भावना	1.0 - SITE PLAN + PARKING PLAN 2.0 - SITE PLAN	10 - 09 - 2018	YOGESH GEHLOT JBC Architects & Associates 79, Mahaveer marg Near Town Hall Pali (Raj.) Ph: 09414051105, 09571001099 Email: ar.yogeshgehlot@gmail.com	REGISTRATION No. 55969 CA/2012	SHEET NO. - 1 / 5
ADDRESS : SITUATED ON KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 AT KHERWA ROAD , PALI , (RAJ.) 306401.		SCALE : 1 : 200	NORTH : N	COA NO. - CA / 2012 / 55969		

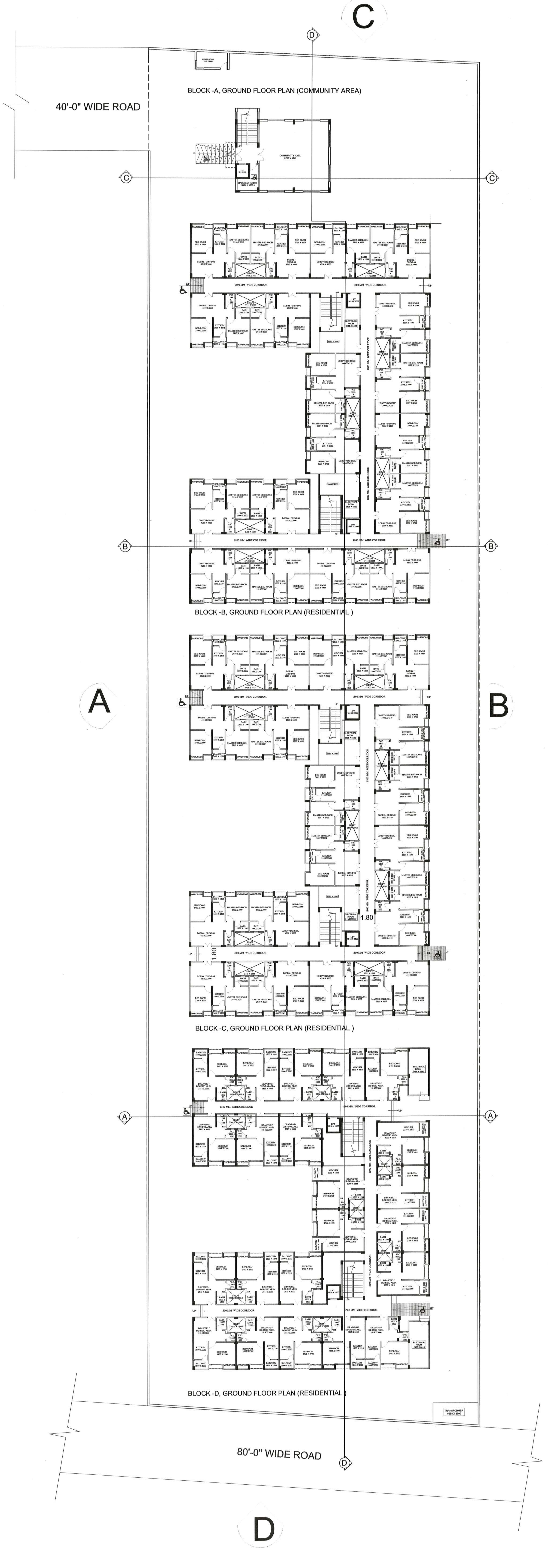

1.0 - GROUND FLOOR PLAN

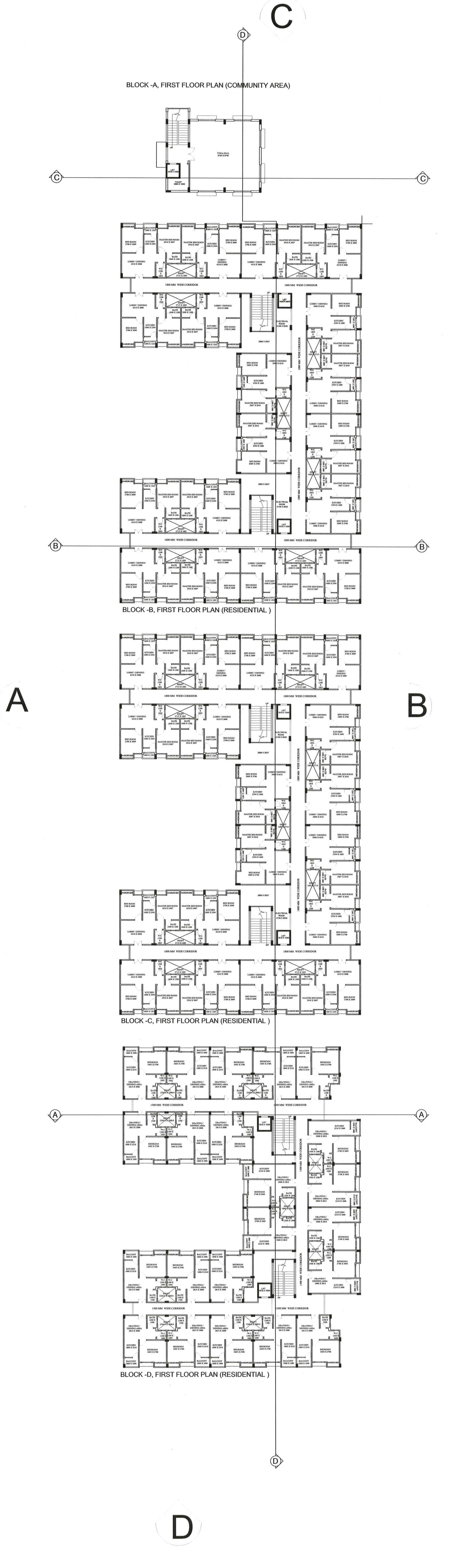

2.0 - FIRST FLOOR PLAN

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, पाली

नगर विकास न्यास, पाली

APPLICANT / PROJECT TITLE	APPLICANT SIGNATURE :	DRAWING TITLE :	DATE :	ASSOCIATE ARCHITECT :	ARCHITECT SEAL & SIGNATURE :	
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR : SMT. BHAVANA W/O JUGAL KISHORE RAJPUROHIT , SMT. SUNITA W/O MAHENDRA SINGH RAJPUROHIT ON PART OF KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 (AS PER CMJAY -2015 PROVISION -3A)	DRAWINGS ARE PREPARED BY ME AFTER SUPERVISING THE SITE. ON THE SITE LOCATION PLOT PRESENT CONDITION IS EMPTY OPEN LAND APPLIED DRAWING DOCUMENTS COMPLETE RESPONSIBILITY TAKEN BY ME. Sunita भावना	1.0 - GROUND FLOOR PLAN 2.0 - FIRST FLOOR PLAN	10 - 09 - 2018	YOGESH GEHLOT JBC Architects & Associates 79, Mahaveer marg Near Town Hall Pali (Raj.) Ph: 09414051105, 09571001099 Email: ar.yogeshgehlot@gmail.com	REGISTRATION No. 55969 CA/2012	SHEET NO. - 2 / 5
ADDRESS : SITUATED ON KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 AT KHERWA ROAD , PALI , (RAJ.) 306401.		SCALE : 1 : 200	NORTH : N	COA NO. - CA / 2012 / 55969		

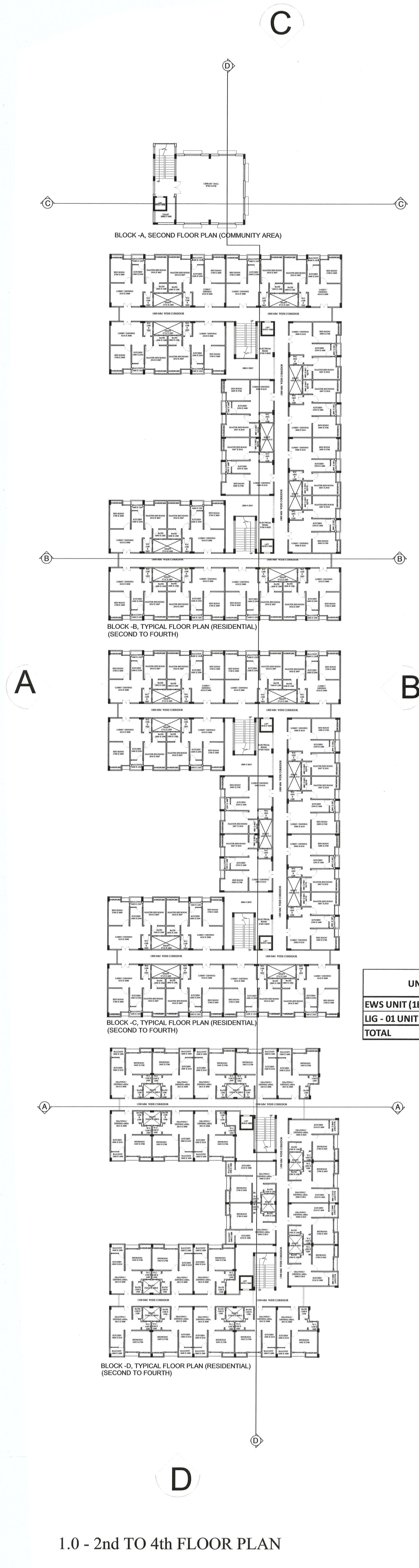

BLOCK - A (AMENITIES) BUILTUP AREA ANALYSIS

FLOOR	BLOCK AREA (SQMT.)	SHAFT AREA (SQMT.)	GROSS B.U.A. (SQMT.)	BALCONY AREA (SQMT.)	AMENITIES B.U.A. (SQMT.)
GROUND FOOR	104.50	0.00	104.50	0.00	104.50
FIRST FLOOR	104.50	0.00	104.50	0.00	104.50
SECOND FLOOR	104.50	0.00	104.50	0.00	104.50
TOTAL	**313.50**	**0.00**	**313.50**	**0.00**	**313.50**

BLOCK - B BUILTUP AREA ANALYSIS

FLOOR	BLOCK AREA (SQMT.)	SHAFT AREA (SQMT.)	GROSS B.U.A. (SQMT.)	BALCONY AREA (SQMT.)	RESIDENTIAL B.U.A. (SQMT.)
GROUND FOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
FIRST FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
SECOND FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
THIRD FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
FORTH FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
TOTAL	**5594.40**	**281.70**	**5312.70**	**198.00**	**5312.70**

BLOCK - C BUILTUP AREA ANALYSIS

FLOOR	BLOCK AREA (SQMT.)	SHAFT AREA (SQMT.)	GROSS B.U.A. (SQMT.)	BALCONY AREA (SQMT.)	RESIDENTIAL B.U.A. (SQMT.)
GROUND FOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
FIRST FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
SECOND FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
THIRD FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
FORTH FLOOR	1118.88	56.34	1062.54	39.60	1062.54
TOTAL	**5594.40**	**281.70**	**5312.70**	**198.00**	**5312.70**

BLOCK - D BUILTUP AREA ANALYSIS

FLOOR	BLOCK AREA (SQMT.)	SHAFT AREA (SQMT.)	GROSS B.U.A. (SQMT.)	BALCONY AREA (SQMT.)	RESIDENTIAL B.U.A. (SQMT.)
GROUND FOOR	953.53	63.78	889.75	52.56	889.75
FIRST FLOOR	953.53	63.78	889.75	52.56	889.75
SECOND FLOOR	953.53	63.78	889.75	52.56	889.75
THIRD FLOOR	953.53	63.78	889.75	52.56	889.75
FORTH FLOOR	953.53	63.78	889.75	52.56	889.75
TOTAL	**4767.65**	**318.90**	**4448.75**	**262.80**	**4448.75**

ALL BUILDING BLOCK (A+B+C+D) BUILTUP AREA ANALYSIS

BUILDING BLOCK	BLOCK AREA (SQMT.)	SHAFT AREA (SQMT.)	GROSS B.U.A. (SQMT.)	BALCONY AREA (SQMT.)	RESIDENTIAL B.U.A. (SQMT.)
BLOCK-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BLOCK-B	5594.40	281.70	5312.70	198.00	5312.70
BLOCK-C	5594.40	281.70	5312.70	198.00	5312.70
BLOCK-D	4767.65	318.90	4448.75	262.80	4448.75
TOTAL	**15956.45**	**882.30**	**15074.15**	**658.80**	**15074.15**

RESIDENTIAL B.U.A. =	15074.15	SQMT.		
COMMERCIAL B.U.A. =	0.00	SQMT.	0.00%	OF RESIDENTIAL B.U.A.
COMMUNITY B.U.A. =	313.50	SQMT.	2.08%	OF RESIDENTIAL B.U.A.

UNIT TYPE	NO. OF UNITS (BLOCK WISE)					PERCENTAGE
	BLOCK-A	BLOCK-B	BLOCK-C	BLOCK-D	TOTAL	
EWS UNIT (1BHK)	0	0	0	110	110	37.93%
LIG - 01 UNIT (2BHK)	0	90	90	0	180	62.07%
TOTAL	**0**	**90**	**90**	**110**	**290**	**100.00%**

AREA	UNIT TYPE	
	EWS	LIG-1
B.U.A.(SQMT.)	**30.49**	**45.60**
BALCONY AREA (SQMT.)	2.38	2.20
BALCONY AREA (1/2) (SQMT.)	1.19	1.10
COMMON AREA (CORRIDOR +LIFT+STAIRCASE)	7.61	11.23
S.B.U.A.(SQMT.)	**39.29**	**57.93**
CARPET AREA (SQMT.)	27.54	41.34
S.B.U.A. AREA (SQFT.)	**422.91**	**623.55**

1.0 - 2nd TO 4th FLOOR PLAN

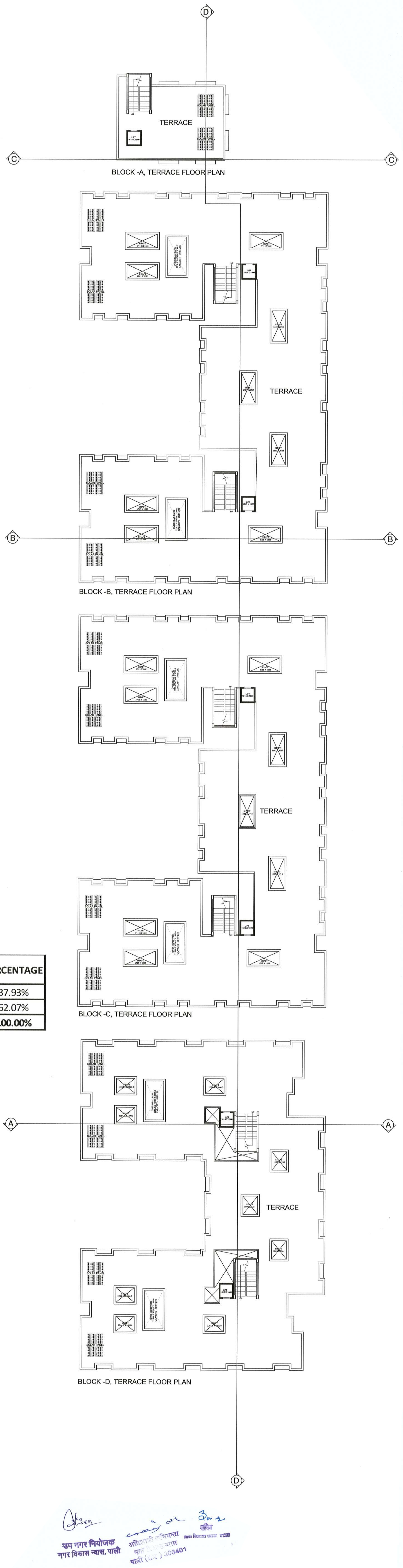

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, पाली

2.0 - TERRACE FLOOR PLAN

APPLICANT / PROJECT TITLE	APPLICANT SIGNATURE :	DRAWING TITLE :	DATE :	ASSOCIATE ARCHITECT :	ARCHITECT SEAL & SIGNATURE :	
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR : SMT. BHAVANA W/O JUGAL KISHORE RAJPUROHIT , SMT. SUNITA W/O MAHENDRA SINGH RAJPUROHIT ON PART OF KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 (AS PER CMJAY -2015 PROVISION -3A)	DRAWINGS ARE PREPARED BY ME AFTER SUPERVISING THE SITE. ON THE SITE LOCATION PLOT PRESENT CONDITION IS EMPTY OPEN LAND APPLIED DRAWING DOCUMENTS COMPLETE RESPONSIBILITY TAKEN BY ME. Sumitra भावना	1.0 - TYPICAL FLOOR PLAN SECOND TO FOURTH 2.0 - TERRACE FLOOR PLAN	10 - 09 - 2018	YOGESH GEHLOT JBC Architects & Associates 79, Mahaveer marg Near Town Hall Pali (Raj.) Ph: 09414051105, 09571001099 Email: ar.yogeshgehlot@gmail.com	REGISTRATION No. 55969 CA/2012	SHEET NO. - 3 / 5
ADDRESS : SITUATED ON KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 AT KHERWA ROAD , PALI , (RAJ.) 306401.		SCALE : 1 : 200	NORTH : N	COA NO. - CA / 2012 / 55969		

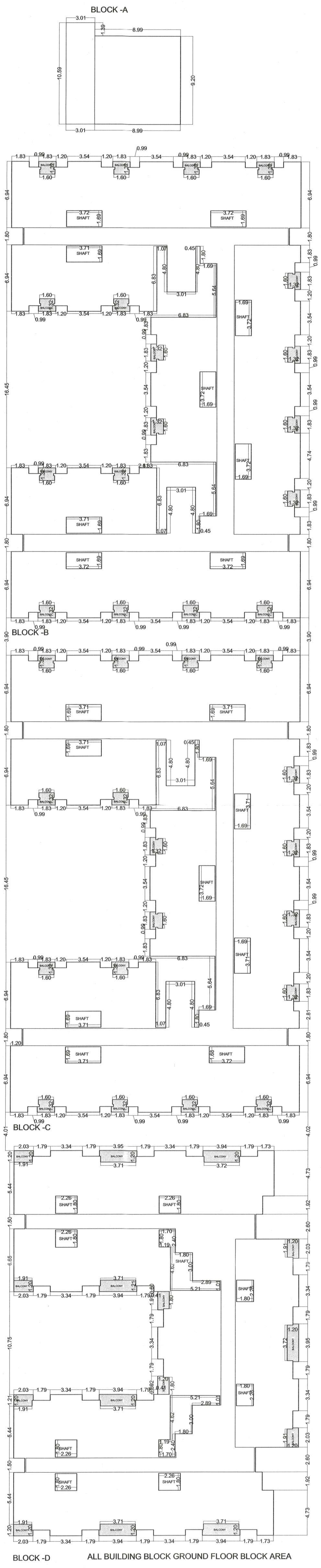

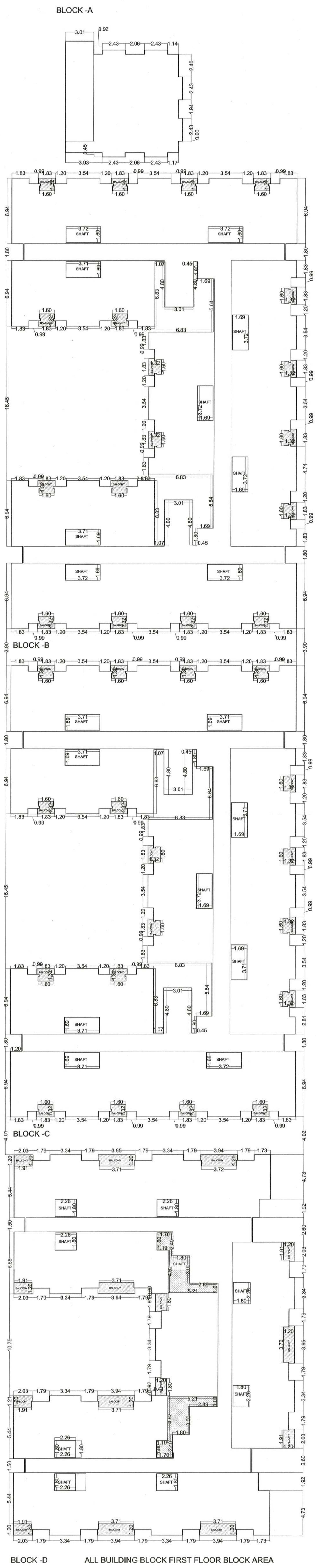

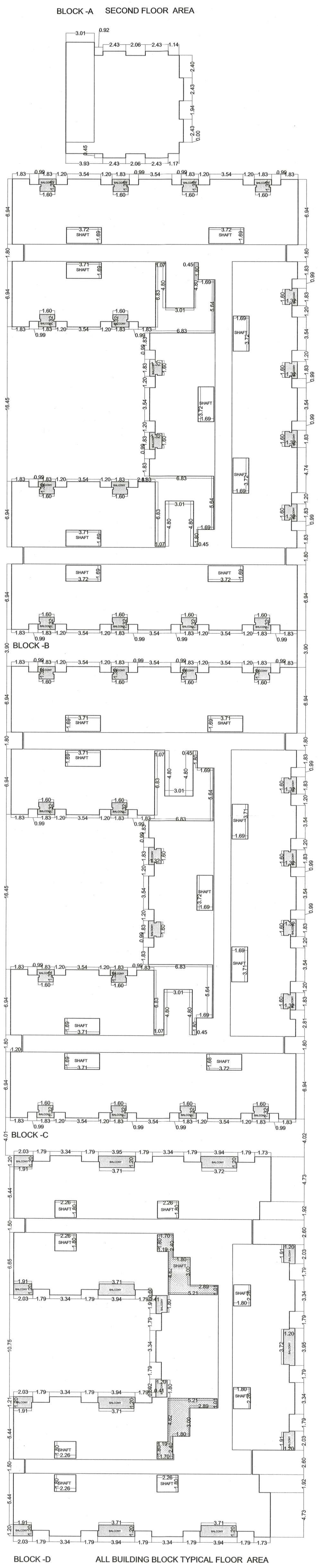

APPLICANT / PROJECT TITLE	APPLICANT SIGNATURE :	DRAWING TITLE :	DATE :	ASSOCIATE ARCHITECT :	ARCHITECT SEAL & SIGNATURE :	
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR : SMT. BHAVANA W/O JUGAL KISHORE RAJPUROHIT , SMT. SUNITA W/O MAHENDRA SINGH RAJPUROHIT ON PART OF KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 (AS PER CMJAY -2015 PROVISION -3A)	DRAWINGS ARE PREPARED BY ME AFTER SUPERVISING THE SITE. ON THE SITE LOCATION PLOT PRESENT CONDITION IS EMPTY OPEN LAND APPLIED DRAWING DOCUMENTS COMPLETE RESPONSIBILITY TAKEN BY ME. Sunita भावना	BLOCK AREA / AREA ANALYSIS	10 - 09 - 2018	YOGESH GEHLOT JBC Architects & Associates 79, Mahaveer marg Near Town Hall Pali (Raj.) Ph: 09414051105, 09571001099 Email: ar.yogeshgehlot@gmail.com	REGISTRATION No. 55969 CA/2012	SHEET NO. - 4 / 5
ADDRESS : SITUATED ON KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 AT KHERWA ROAD , PALI , (RAJ.) 306401.		SCALE : 1 : 200	NORTH : N	COA NO. - CA / 2012 / 55969		

ELEVATION - A

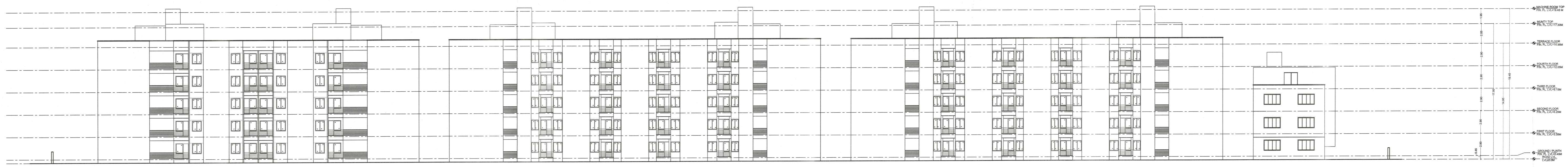

ELEVATION - B

ELEVATION - D

1.0 - ELEVATIONS

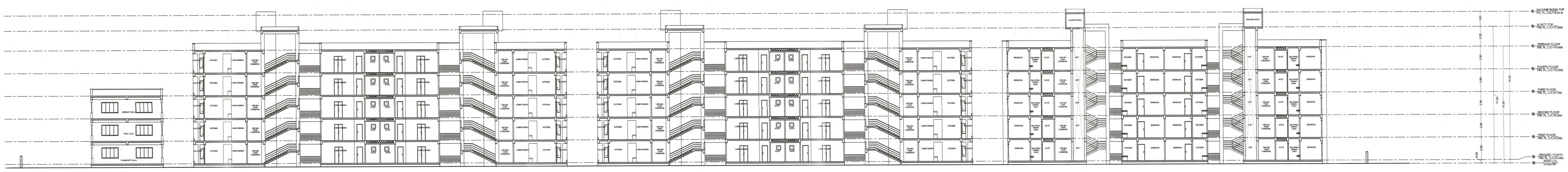

SECTION-DD

SECTION - A

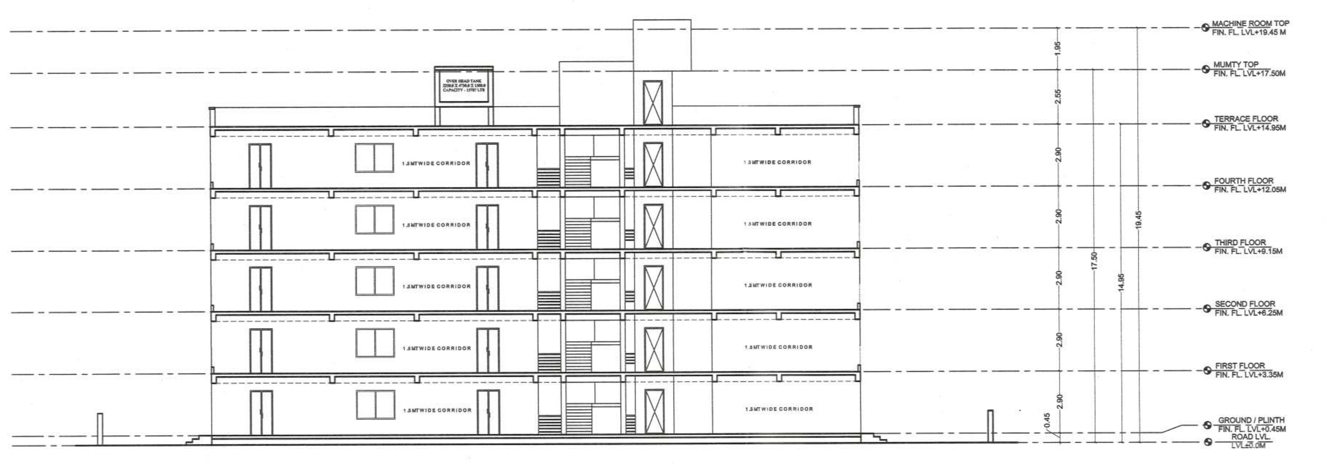

SECTION - B

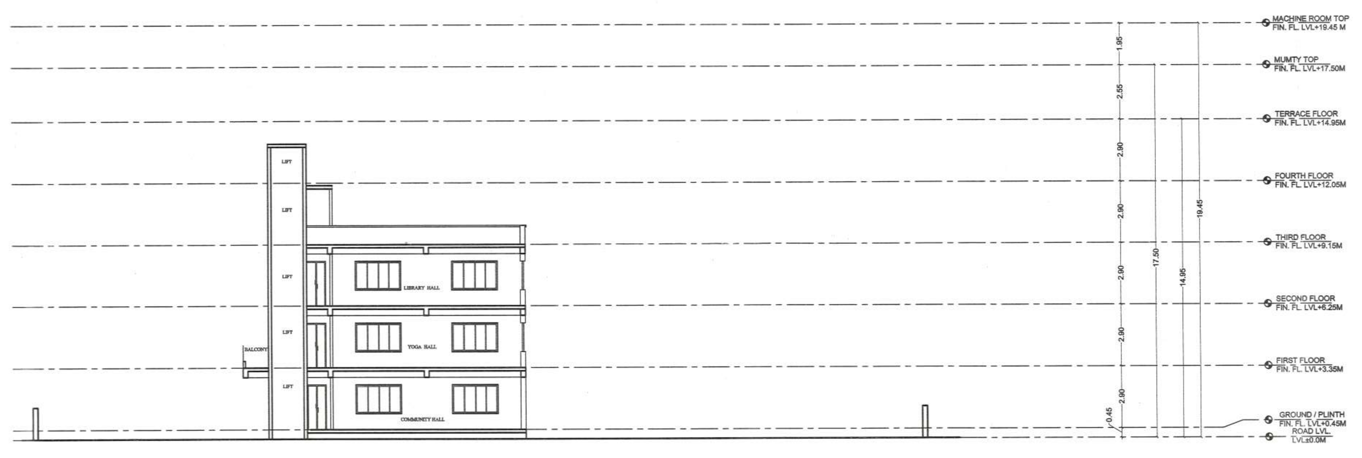

SECTION - C

2.0 - SECTIONS

उप नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, पाली

पाली (राज.) 306401

सचिव
नगर विकास न्यास, पाली

APPLICANT / PROJECT TITLE	APPLICANT SIGNATURE :	DRAWING TITLE :	DATE :	ASSOCIATE ARCHITECT :	ARCHITECT SEAL & SIGNATURE :	
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR : SMT. BHAVANA W/O JUGAL KISHORE RAJPUROHIT , SMT. SUNITA W/O MAHENDRA SINGH RAJPUROHIT ON PART OF KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 (AS PER CMJAY -2015 PROVISION -3A)	DRAWINGS ARE PREPARED BY ME AFTER SUPERVISING THE SITE. ON THE SITE LOCATION PLOT PRESENT CONDITION IS EMPTY OPEN LAND APPLIED DRAWING DOCUMENTS COMPLETE RESPONSIBILITY TAKEN BY ME. Sunita भावना	1.0 - ELEVATIONS 2.0 - SECTIONS	10 - 09 - 2018	YOGESH GEHLOT JBC Architects & Associates 79, Mahaveer marg Near Town Hall Pali (Raj.) Ph: 09414051105, 09571001099 Email: ar.yogeshgehlot@gmail.com	REGISTRATION No. 55969 CA/2012	SHEET NO. - 5 / 5
ADDRESS : SITUATED ON KHASRA NO. 604 / 8 AT PALI CHAK - 2 AT KHERWA ROAD , PALI , (RAJ.) 306401.		SCALE : 1 : 200	NORTH : N	COA NO. - CA / 2012 / 55969		